

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2026—चैत्र 6, शक 1948

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 अक्टूबर 2025

क्रमांक ESTB/102/865/2025-GAD-8.—श्रीमती सुषमा सावंत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव की सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई हैं.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती सुषमा सावंत को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास शील, मुख्य सचिव.

**गृह (पुलिस) विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 मार्च 2026

क्रमांक एफ 7-04/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री मोती लाल कोटवानी, (भापुसे 2010), पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. को दिनांक 13-04-2026 से 08-05-2026 (कुल 26 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 18, 19 अप्रैल 2026 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री कोटवानी, आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री कोटवानी को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोती लाल कोटवानी (भापुसे) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. श्री मोती लाल कोटवानी, (भापुसे 2010), पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह (भापुसे 2011) पुलिस उप महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 मार्च 2026

क्रमांक एफ 7-14/2024/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री उमेश चौधरी (भापुसे-2014), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 10-03-2026 से 27-03-2026 (कुल 18 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2026 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, आगामी आदेश तक, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री चौधरी को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त होते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करते तो अपने पद पर यथावत कार्यरत रहते।
5. श्री उमेश चौधरी, (भापुसे 2014), सहायक पुलिस, महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री श्रीराम मिश्रा (रापुसे), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**डी. एस. ध्रुवे, अवर सचिव.**

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 17 फरवरी 2026

प्ररूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/2352/202503052900002/03/अ-82/2024-25.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

| जिला<br>(1) | तहसील<br>(2) | ग्राम/नगर<br>(3) | क्षेत्रफल<br>(4) | लोक प्रयोजन का विवरण<br>(5)                             |
|-------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| कोरबा       | पाली         | लाफा             | 0.947 हेक्टेयर   | गुंजननाला व्यपवर्तन योजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-04-2026 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत लाफा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

|     |                                                                                                |   |                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण                                                                 | — | गुंजननाला व्यपवर्तन योजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण                                                                                 |
| 2.  | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या                                                   | — | 06 परिवार                                                                                                                               |
| 3.  | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या                                                  | — | 06 परिवार                                                                                                                               |
| 4.  | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.                     | — | निरंक                                                                                                                                   |
| 5.  | प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.                 | — | निरंक                                                                                                                                   |
| 6.  | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?                                                             | — | हां                                                                                                                                     |
| 7.  | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?                                  | — | हां                                                                                                                                     |
| 8.  | परियोजना की कुल लागत                                                                           | — | रुपये 1121.23 लाख                                                                                                                       |
| 9.  | परियोजना से होने वाला लाभ                                                                      | — | परियोजना से 315 हे. खरीफ क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य प्रस्तावित है.                                                                    |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाले संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक                                                    | — | निरंक                                                                                                                                   |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कुणाल दुदावत**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सुकमा, दिनांक 20 फरवरी 2026

क्रमांक/613/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

| भूमि का वर्णन |         |                       |                                  | धारा 12 के द्वारा                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                |
|---------------|---------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                        | का विवरण                                         |
| (1)           | (2)     | (3)                   | (4)                              | (5)                                      | (6)                                              |
| सुकमा         | तोंगपाल | हमीरगढ़<br>प.ह.नं. 14 | 0.726                            | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),<br>छिन्दगढ़ | उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच<br>मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अमित कुमार**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 19 फरवरी 2026

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोरबा
  - (ख) तहसील-पोंडी उपरोड़ा
  - (ग) नगर/ग्राम-जामकछार
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.620 हेक्टेयर

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2512/202208050400024/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 29         | 0.223                  |
| 30/1       | 0.079                  |
| 30/2       | 0.079                  |
| 30/3       | 0.079                  |
| 30/4       | 0.080                  |

|     |      |       |
|-----|------|-------|
|     | (1)  | (2)   |
|     | 30/5 | 0.080 |
| योग | 06   | 0.620 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत पूरक भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्रमांक/595/202507310100012/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सक्ती  
(ख) तहसील-डभरा  
(ग) नगर/ग्राम-केकराभाठा, प.ह.नं. 14  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.375 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 844        | 0.129                  |
| 850/1      | 0.020                  |
| 827/7      | 0.015                  |
| 905/2      | 0.166                  |
| 905/1      | 0.045                  |
| योग        | 05                     |
|            | 0.375                  |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घटोई जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सक्ती, दिनांक 26 नवम्बर 2025

क्रमांक/596/202507310100013/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-सक्ती  
(ख) तहसील-डभरा  
(ग) नगर/ग्राम-कबारीपाली, प.ह.नं. 14  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.353 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर          | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|---------------------|------------------------|
| (1)                 | (2)                    |
| 273/5, 276/5, 277/5 | 0.061                  |
| 273/1, 276/1, 277/1 | 0.016                  |
| 163/7, 166/7        | 0.044                  |
| 61/6, 168/6         | 0.045                  |
| 272/5               | 0.053                  |
| 163/5, 166/5        | 0.045                  |
| 161/4, 168/5        | 0.040                  |
| 163/3, 166/3        | 0.049                  |

योग 08 0.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घटोई जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 16 मार्च 2026

क्रमांक/1366/418/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज  
(ख) तहसील-रामचन्द्रपुर  
(ग) नगर/ग्राम-त्रिशुली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.09 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 1021       | 0.23                   |
| 1008       | 0.28                   |
| 1009       | 0.27                   |
| 1014/2     | 1.54                   |
| 1015       | 0.62                   |
| 1001       | 0.26                   |
| 1002       | 0.15                   |
| 1016       | 0.68                   |
| 1013       | 0.36                   |
| 972        | 0.32                   |
| 1024       | 0.08                   |
| 1000       | 0.18                   |
| 1003       | 0.10                   |
| 986        | 0.02                   |
| योग        | 14 5.09                |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-त्रिशुली जलाशय योजना के डुबान एवं नहर निर्माण के अंतर्गत ग्राम त्रिशुली हेतु  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 16 मार्च 2026

क्रमांक/1368/416/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज  
(ख) तहसील-रामचन्द्रपुर  
(ग) नगर/ग्राम-धौली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.61 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 634        | 0.06                   |
| 643        | 0.02                   |
| 644        | 0.14                   |
| 645        | 0.12                   |
| 650/1      | 0.06                   |
| 650/2      | 0.21                   |
| योग        | 6 0.61                 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामचन्द्रपुर-धौली बालचौरा मार्ग पर कन्हर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य के अंतर्गत ग्राम-धौली हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 18 मार्च 2026

क्रमांक/1434/414/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

| अनुसूची                          |                        | (1)                                                                                                            | (2)   |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (1) भूमि का वर्णन-               |                        | 403                                                                                                            | 0.02  |
| (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज     |                        | 354                                                                                                            | 0.03  |
| (ख) तहसील-रामचन्द्रपुर           |                        | 367                                                                                                            | 0.034 |
| (ग) नगर/ग्राम-झारा               |                        | 359                                                                                                            | 0.1   |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.09 हेक्टेयर |                        |                                                                                                                |       |
|                                  | योग                    | 8                                                                                                              | 1.09  |
| खसरा नम्बर                       | रकबा<br>(हेक्टेयर में) | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झारा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण के अन्तर्गत ग्राम-झारा हेतु. |       |
| (1)                              | (2)                    | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है. |       |
| 381                              | 0.22                   | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>राजेन्द्र कटारा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.                  |       |
| 378                              | 0.12                   |                                                                                                                |       |
| 357                              | 0.20                   |                                                                                                                |       |
| 374                              | 0.06                   |                                                                                                                |       |

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड  
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर 24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2026

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./टी.एल./2025-26/8765.—कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6152-6153 रायपुर, दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री मनोज कुमार चौहान, संयुक्त संचालक, (कृषि) जिला बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर, जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री मनोज कुमार चौहान, संयुक्त संचालक, (कृषि) जिला बिलासपुर का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने से उनके स्थान पर श्री पी. डी. हथेश्वर, उप संचालक कृषि बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवनी,  
संचालक.

**छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम**  
ब्लॉक-बी, ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2026

क्रमांक/3279/पापुनि/स्थापना/2025.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का आदेश क्र./ESTB/102(1)/58/2026-GAD-2, नवा रायपुर, दिनांक 21-01-2026 के आदेश के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 22-01-2026 को अपरान्ह में प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर का प्रभार ग्रहण कर लिया गया है।

**किरण कौशल**  
प्रबंध संचालक

**उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं**

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 10th October 2025

No. 1144/Confdl./2025/II-2-1/2025.—Shri Dukhi Ram Dewangan, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I District and Additional Sessions Judge, Rajnandgaon is, hereby, appointed as officiating Principal District and Sessions Judge, Rajnandgaon with effect from the date of taking over charge by him until the posting of regular Principal District and Sessions Judge, with a direction to discharge the duties of Principal District and Sessions Judge, Rajnandgaon, in addition to his own duties, until further orders.

Bilaspur, the 16th October 2025

No. 1161/Confdl./2025/II-2-72/2001 (Part-VII).—The original seniority of Shri Shailesh Achyut Patwardhan, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District and Additional Sessions Judge, Jashpur, is hereby, restored, and is placed below the name of Shri Dilesh Kumar Yadav, District and Additional Sessions Judge (F.T.C.), Raigarh and above the name of Shri Leeladharsai Yadav, Member-Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur, in the gradation list of District Judge (Selection Grade).

Bilaspur, the 16th October 2025

No. 20304/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

|    |                                               |           |             |
|----|-----------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1. | Ku. Parul Sai, J.M.S.C., Ambikapur            |           |             |
| 2. | Shri Santosh Kumar Yadav, J.M.S.C., Ambikapur | Ambikapur | Sarguja     |
| 3. | Shri Utsav Singh Tiwari, J.M.S.C., Ambikapur  |           | (Ambikapur) |
| 4. | Shri Neeraj Felix Kujur, J.M.S.C., Ambikapur  |           |             |

By Order of the High Court,  
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.